न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 137/2024
(जीसीएमएस संख्या 2024/159)

निर्णय दिनांकः– 25-08-25

1. कलावती पत्नी सहीराम जाति कुम्हार साकिन चक 2 केएसआर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. दीपक दर्शन पुत्र रविन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी दरौदा तहसील रूपकश जिला भरतपुर।
स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

–रेस्पोडेन्ट्

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

**अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 29–08–1998**
**सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर**

उपस्थितिः–

1. श्री विजय कुमार पारीक, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 29–08–1998 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील पूगल में चक 8 पीआरएम के मुरब्बा नम्बर 18/43 की 25 बीघा भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। उक्त आवेदन पत्र के साथ अपीलांट द्वारा तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा तत्पश्चात् अपीलांट को बिना सूचना दिये प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि प्रार्थिया का पति राजकीय सेवा में होने के कारण प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र दिनांक 29–07–1993 को खारिज कर दिया गया। जिसकी अपील प्रार्थिया द्वारा किये जाने पर अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त खारिजी आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि वे उभय पक्षों की सुनवाई करते हुए चक 8 पीआरएम के मुरब्बा नम्बर 18/43 हेतु आवेदनपत्रों पर पुनः निर्णय पारित करे। इसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलीय न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना करते हुए प्रार्थिया को सुने बिना ही पुनः निर्णय पारित कर दिया जिसमें अपीलांट की जगह रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की वरीयता प्रथम मानते हुए वादगत भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को ही होने के कारण प्रार्थिया का आवेदन पत्र खारिज कर दिया। जबकि अपीलांट गंगानगर जिले का निवासी है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 भरतपुर जिले का निवासी है। अधीनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार की सूचना नहीं दी एवं कहीं भी यह अंकित नहीं किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की वरीयता प्रथम कैसे बनती है। वर्तमान में वादगत भूमि किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित है एवं उक्त व्यक्ति का राजस्व रिकोर्ड में अंकन है। अधीनस्थ न्यायालय को ना सिर्फ प्रार्थिया को भूमि आवंटन में वरीयता प्रदान नहीं की गई और ना ही अन्यत्र भूमि दिये जाने बाबत अपनी आदेशिका में कोई अंकन किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा तौर पर पारित आदेश निरस्त करते हुए अपीलांट को समान श्रेणी की अन्यत्र भूमि आवंटन किये जाने का आदेश फरमावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2015 स्प. पेज 443, आरआरडी 1981 पेज 181, आरआरटी 2016 पेज 1339 आदि के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है।अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया अपील मियाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि पर प्रथम वरीयता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की माने जाने से अपीलांट का आवेदन पत्र खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। यदि अपीलांट को अन्यत्र भूमि आवंटन की जाती है तो उससे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते है। जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपील मियाद अवधि की समाप्ति के पश्चात पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः प्रकरण का निस्तारण मियाद की बजाय गुणावगुणप पर किया जाना श्रेयस्कर है। अतः न्यायहित में विलम्ब कंडोन कर अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रकरण में जहाँ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलांट ने आवंटन अधिकारी के समक्ष बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तहसील पूगल में चक 8 पीआरएम के मुरब्बा नम्बर 18/43 हेतु आवेदन किया जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा भी आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवंटन सलाहकार समिति ने अपने आदेश दिनांक 29—07—1993 से यह कहते हुए अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया कि अपीलांटा का पति राज्य सेवा में है अतः अपीलांटा / प्रार्थिया सद्भावी कृषक नहीं है। इसी दौरान वादगत भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कर दिया गया। जिसकी अपील प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 20—05—1994 से उक्त खारिजी आदेश को निरस्त किया गया एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि प्रकरण में वे अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए आवेदन पत्रों पर पुनः निर्णय पारित करे। जिसकी पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटा को किसी प्रकार का कोई नोटिस प्रेषित नही किया गया एवं सीधे ही पत्रावली दिनांक 29—08—1998 को पेशी में लेते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की वरीयता प्रथम रखी गई एवं वादगत भूमि का आवंटन पूर्व में ही प्रथम वरीयता वाले को होने के कारण वादगत भूमि पर अपीलांटा का आवेदन निरस्त कर दिया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह साबित नहीं होता है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई विधिवत नोटिस/नोटिस तामील की सुनिश्चितता आवंटन अधिकारी द्वारा की गई हो। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने दोराने बहस कथन किया कि अपीलाधीन आदेश द्वारा प्रश्नगत आराजी वास्तव में उसे आवंटित न करके किसी अन्य व्यक्ति मंगलचंद पुत्र भुराराम को आवंटित कर दी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रश्नगत आराजी की वर्तमान जमाबंदी से इस तथ्य की पुष्टि होती है।

अपीलाधीन आदेश द्वारा जब अपीलाधीन आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित हुई तो जमाबंदी में मंगलचंद पुत्र भूराराम का नाम किस प्रकार आया? जमाबंदी से यह आराजी मंगलचंद पुत्र भूराराम को विशेष आवंटन में

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आवंटित होना प्रतीत होता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का आवंटन खारिज हुआ अथवा नही? यह तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है।

प्रकरण में दस्तावेजी साक्ष्यो से यह तथ्य तो साबित है कि अपीलांटा को आवंटन पात्र मानते हुए आवेदित रकबे (चक 8 पीआरएम– मुरब्बा नम्बर 18/53, 18/43) मे से मुरब्बा नम्बर 18/53 का आवंटन किया जा चुका था। शेष भूमि आवंटित करवाने हेतु अपील हाजा प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा आवंटन नियम 13 ए (5) (4) की तरफ न्यायालय का ध्यान आकर्षित करवाया गया। जिसमें अभिलिखित किया गया है कि:–**Provided that the applicants to whom land could not be allotted due to the above procedure, may be allotted alternative un allotted land out of those lands which were previously notified and applications were invite for allotment of those lands, if there are no pending applications from other applicants for allotment such unallotted land.**

**न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2016 पेज 1339** के अनुसार यदि कोई आवेदक आवंटन का पात्र है और उसे विशिष्ट भूमि आवंटित नही हुई है तो उसे अन्यंत्र भूमि आवंटित की जा सकेगी।

उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट है कि यदि कोई पात्र व्यक्ति उपर्युक्त नियमों के तहत प्राथमिकता में भूमि आवंटित नहीं करा सका है तो उसे अनावंटित भूमि आवंटित की जा सकेगी।

7. अतः उक्त नियम के प्रकाश में अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी नियमो व अद्यतन परिपत्रो के आलोक में अपीलांट की आज दिनांक की पात्रता की जाँच करते हुए, पात्रता सही पाये जाने पर अपीलांट के आवेदन पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

8. निर्णय आज दिनांक 25.08.25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर